मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक / 14743 भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2006

प्रति

1) **समस्त वन संरक्षक**
पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश

2) **समस्त वन मंडलाधिकारी**
एवं पदेन प्रबंध संचालक,
जिला यूनियन, मध्यप्रदेश

विषयः— तेंदू पत्ता अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत् ।

भोपाल में लघु वनोपज संघ के द्वारा दिनांक 14.11.06 को तेंदू पत्ता व्यापारियों की आयोजित सम्मेलन में व्यापारियों के द्वारा तेंदू पत्ता अनुज्ञा पत्रों के जारी करने में अनावश्यक विलंब किये जाने और एक अव्यवाहिक रूप से कम समयावधि के लिये जारी किये जाने के कारण कठिनाई उत्पन्न होने की शिकायत की है । यह भी शिकायत है कि कुछ वन मंडलाधिकारियों के द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र–1 (सहायक) जारी किये जाने हेतु तेंदू पत्ता केताओं और उनके प्रतिनिधियों को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में भी आनाकानी की जाती है । परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश बहुत स्पष्ट हैं । खण्डीय वन अधिकारियों के साथ साथ उप वन मंडलाधिकारियों को भी परिवहन अनुज्ञा पत्र 1 से 3 तक जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है । तेंदू पत्ता सीजन में हरे पत्ते के केताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को टी पी–1 सहायक जारी करने के लिये प्राधिकृत किये जाने को भी व्यवस्था रखी गई है । कृपया सुनिश्चित किया जावे कि तेंदू पत्ता प्राप्त करने में व्यापारी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हो। इसके लिये अपने स्तर पर समुचित व्यवस्था करे और अधिनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों को भी समुचित निर्देश जारी करें ।

(मोहम्मद हाशिम)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश,